(नियम 26)

आज अदालत संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर

कालूराम वगैरह बनाम हरदेवा वगैरह

किस्म मुकदमा : धारा 76 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

अपील संख्या: 185/2014

GCMS No.: 2012/00042

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयन्स जज	न० व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2.6.2023	आज यह पत्रावली प्रार्थी अपीलान्ट श्री कालुराम पुत्र पेमाराम एवं धन्नाराम पुत्र पेमाराम जरिये अभिभाषक श्री जितेन्द्र कुमार बिश्नोई के प्रार्थना पत्र दिनांक 02.06.2023 पर पेशी में ली गयी। अभिभाषक श्री नरेन्द्र गौड़ इनके द्वारा प्रस्तुत वकालातनामें पर अनापत्ति जाहिर की है। अभिभाषक अपीलान्ट श्री जितेन्द्र कुमार बिश्नोई द्वारा अपीलान्ट की ओर से वकालतनामा मय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलान्ट व रेस्पोन्डेंट (दोनों पक्षों में) राजीनामा हो गया है, इसलिए अपीलान्ट अब यह अपील आगे नहीं चलाना चाहता है। अतः पत्रावली जरिये विड्रा दाखिल दफ्तर फरमाई जावे। हमने अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवम् पत्रावली का अवलोकन किया। यह अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 05.09.12 के विरुध्द अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत होकर इस न्यायालय में विचाराधीन है। अपीलान्ट श्री कालुराम पुत्र पेमाराम एवं धन्नाराम पुत्र पेमाराम जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलान्ट इस अपील इस अपील को आगे नहीं चलाना चाहते हैं तथा विड्रा करना चाहते हैं। अतः अपीलान्ट द्वारा अपील आगे नहीं चलाये जाने के कारण यह अपील जरिये विड्रावल इसी स्तर पर खारिज की जाती है। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड वापिस प्रेषित हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। संभागीय आयुक्त बीकानेर	